

TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(REVENUE DEPARTMENT)
5, SHAM NATH MARG, DELHI

F No. 11(11)/Rev. Estt./S.R./P.T./P.F./ 2260

Dated: 25.10.2012

NOTIFICATION

In pursuance of Services Department's Order no. 491 dated 12.09.2012, **Shri Dharam Pal, IAS (AGMU : 88)** has joined as Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi on 14.09.2012 (F/N).
Now, therefore,

- (i) In exercise of powers conferred by section 4 read with section 74 of the Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoints, **Shri Dharam Pal, IAS (AGMU : 88)** as Collector in the National Capital Territory of Delhi and delegates the powers of Collector to him w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Divisional Commissioner, Delhi, or till further orders which ever is earlier.
- (ii) In exercise of powers conferred by section 3(6) of the Delhi Land Reforms Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to empowers **Shri Dharam Pal, IAS (AGMU : 88)** to discharge the functions of Deputy Commissioner under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Divisional Commissioner, Delhi or till further orders which ever is earlier.
- (iii) In exercise of powers conferred by section 105(1) (a) of the Punjab Tenancy Act, 1887 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confers upon **Shri Dharam Pal, IAS (AGMU : 88)** all powers of Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Divisional Commissioner, Delhi or till further orders which ever is earlier.
- (iv) In exercise of powers conferred by Section 27(1) (a) of the Punjab Land Revenue Act, 1887, as enforced in the National Capital Territory of Delhi of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confers upon **Shri Dharam Pal, IAS (AGMU : 88)** all powers of Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Divisional Commissioner, Delhi or till further orders which ever is earlier.
- (v) In exercise of powers conferred by Section 14 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confers upon **Shri Dharam Pal, IAS (AGMU : 88)** all powers of Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Divisional Commissioner, Delhi or till further orders which ever is earlier.
- (vi) In exercise of powers conferred by Section 41(1) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act 1948, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby appoints **Shri Dharam Pal, IAS (AGMU : 88)** as appellant authority and delegates the powers of hearing appeals under Section 21(4) of the said Act against the order of Settlement Officer (Consolidation) passed under Section 21(3) of the said Act to him w.e.f the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Divisional Commissioner, Delhi or till further orders which ever is earlier.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LT. GOVERNOR
OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI


(Kuldeep Singh Gangar)
Special Secretary (Revenue)
Deputy Commissioner(HQ)

F No. 11(11)/Rev. Estt./S.R./P.T./P.F./ 2260

Dated: 25.10.2012

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in part-IV, Delhi Extra Ordinary Gazette.
2. **Shri Dharam Pal, IAS (AGMU : 88)** Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi.
3. The System Analyst, Revenue Department with the request to upload the notification on the website of this department.
4. P.S. to Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi.
5. Guard file.


(ASHOK KUMAR SHARMA)
Sub Divisional Magistrate-IV(HQ)

Bansal
26/10

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार
(राजस्व विभाग)

5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली

सं०.एफ. 11/11/रा. स्था./स.रा/पी. टी./पी.एफ./

2260


दिनांक 25.10.2012

अधिसूचना

सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं० 491 दिनांक 12.09.2012 के सन्दर्भ में श्री धर्म पाल, भा.प्र.से. (AGMU: 88) ने दिनांक 14.09.2012 (पूर्वाहन) को सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, दिल्ली का कार्यभार संभाल लिया है। अतः-

1. दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 74 के साथ पठित धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल, श्री धर्म पाल, भा.प्र.से. (AGMU: 88) को अपने कार्य भार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, दिल्ली के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान करते हैं।
2. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 3 (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री धर्म पाल, भा.प्र.से. (AGMU: 88), को अपने कार्य भार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, दिल्ली के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो उक्त अधिनियम के अंतर्गत उपायुक्त के कार्यपालन हेतु शक्तियां प्रदान करते हैं।
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब टेनेसी अधिनियम 1887 की धारा 105 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल, श्री धर्म पाल, भा.प्र.से. (AGMU: 88) को अपने कार्य भार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, दिल्ली के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं।
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 27 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री धर्म पाल, भा.प्र.से. (AGMU: 88) को अपने कार्य भार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, दिल्ली के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं।
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री धर्म पाल, भा.प्र.से. (AGMU: 88) को अपने कार्य भार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, दिल्ली के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं।
6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी एवं विखण्डन रोकथाम) अधिनियम 1948 की धारा 41 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल, श्री धर्म पाल, भा.प्र.से. (AGMU: 88) को अपने कार्य भार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, दिल्ली के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो कथित अधिनियम की धारा 21 (4) के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा धारा 21 (3) में पारित किये गये आदेशों के खिलाफ समस्त अपीलें सुनने के लिए अपीलेंट अथोरिटी नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर


 25.10.2012

(कुलदीप सिंह गंगर)
विशेष सचिव (राजस्व)
उपायुक्त (मुख्यालय)

दिनांक 25.10.2012

सं०.एफ. 11/11/रा. स्था./स.रा/पी. टी./पी.एफ./ 2260
प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. उप-सचिव सा. प्रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी अनुवाद सहित।
2. श्री धर्म पाल, भा.प्र.से. (AGMU: 88) सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, दिल्ली।
3. प्रणाली विश्लेषक (System Analyst) राजस्व विभाग को इस प्रार्थना के साथ कि इस अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. सचिव(राजस्व)/मण्डलायुक्त के निजी सचिव।
5. गार्ड फाइल।


(अशोक कुमार शर्मा)
उपमण्डलीय दण्डाधिकारी-IV (मु०)